

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर

E-MAIL-sjedalwar@gmail.com

क्रमांक-सान्याअवि/2017-18/ 6338

दिनांक- 09/11/17

ई-निविदा आमंत्रण सूचना-01/2017-18


राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 तहत सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर में जॉब बेसिस पर कार्य हेतु वर्ष 2017-18 कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों/प्लेसमेन्ट एजेन्सियों से निम्नानुसार ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	रसोईया/चौकीदार जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत।	4000000	80000
	निविदा शुल्क	500	-
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees)	500	-

ई-निविदा कार्यक्रम

1.	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	09.11.2017	दोपहर 12.00 बजे
2.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	09.11.2017	दोपहर 12.00 बजे
3.	प्री बिड मीटिंग	20.11.2017	प्रातः 11.00 बजे
4.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	29.11.2017	2.00 P.M.
5.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees) एवं निविदा दस्वावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	29.11.2017	4.00 P.M.
6.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	30.11.2017	प्रातः 11.00 बजे

ऑन-लाईन बिडिंग के लिए निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज मय शर्तें sjerajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 29.11.2017 तक निविदा शुल्क का राशि निविदा प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के नाम तथा ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट Managing Director RISL Jaipur (Pay able at Jaipur) के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।



सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अलवर

UBN:- 50c17185L0B0077